अहकामे शरीयत पर अज्ञानता का प्रभाव

इस्लामिक फ़िक्ह अकेडमी इण्डिया का अटठाईसवां फ़िक्ही सेमीनार हिन्दुस्तान के मेवात के बड़े दिनी शीक्षा केन्द्र दारुल उलूम मुहम्मदिया मील खेडला भरतपुर, राजस्थान में दिनांक 17 से 19 नमम्बर सन् 2018 ई0 8-10 रबीउल अव्वल 1440 हिजरी को आयोजित किया गया, जिसमें बाहरी देशों में क़तर, साउथ अफ्रीक़ा, ईरान अफगानिस्तान और बंगला देश के अतिथियों के अतिरिक्त देश के विभिन्न प्रदेशों से लगभग तीन सौ उलेमा, मुफ्तीयों और महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों ने भाग लिया, इस तीन दिवसीय संगोष्ठी में चार महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श हुआ, इन विषयों पर विचार-विमर्श खोज एवं अनुसंधान के बाद जो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए वह निम्नलिखित हैं:

प्रत्येक मुसलमानों की उत्रदायीत्व है कि वह शरीयत के आदेशों से पूर्णरूप से परिचित होने की प्रयत्न करे और धार्मिक विद्वानों की कर्तव्य है कि वह सामान्य मुसलमानों को शरीअत के आदेशों से अवगत कराए ताकि जिन कारणों से अहकामे शरीयत से वंचित हो जाते हैं या कुछ कमी या बदलाव हो जाते हैं उनमें एक अज्ञानता भी है जिसकी सीद्धान्तों के आधार प निम्नलिखित अवस्थाएं बनती है।

1- एकाकी या व्यक्तिगत अहकाम में कुछ शर्तों के साथ अज्ञानता को बहाने के रूप में स्वीकार किया जाता है।

2- काफिर घोषीत करने का व्याख्या का मामला बहुत नाजुक और महत्त्वपूर्ण है, किसी व्यक्ति या समूह पर अविश्वास (कुफ्र) का आदेश में बहुत ही सावधानी पूर्वक से काम लेना चाहिए।

3- अक़ीदे के कामों व विषय (एतेक़ाद) में से जिन विषयों का इस्लाम के आदेशों में ज्ञात या मशहूर नहीं है, अगर अज्ञानता के कारण कोई इसमें शामिल या पीडित हो जाये, तो उस को काफिर घोषीत नहीं किया जायेगा उसको अवगत कराने की प्रयत्न की जायेगी।

4- निशिचित (क़तअन) दीन से आश्य वह विषय है जिनका प्रमाण अल्लाह की किताब या सुन्नत (हदीस) द्वारा या बहूमत (इज़मा) से लगातार सिद्ध हो।

5- निश्चित दीन की परिधि में आने वाले अहकाम दो प्रकार के हैं। एक वह जो इस स्तर तक प्रसिद्ध और अच्छी प्रकार से जानी जाती हो कि सामान्य मुसलमान उनसे परिचित हों, जैसे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम पर ख़त्मे नुबूवत, तो यह दीन का आवशयक्ता है और ज़रूरियाते दीन में अज्ञानता कारण (उज्र) नहीं है और न इनमें किसी प्रकार की देरी या टालमटोल का विश्वास ही होगा।

6- दूसरा भाग उन आदेशों का है जो इस हद तक प्रसिद्ध नहीं है उनमें सामान्य व्यक्ति की अज्ञानता का

बहाना है ऐसे विषयों में शरीअत के आदेश से परिचित कराने और गलत वहम को दूर करने के अतीरिक्त अगर वह अस्वीकृती पर निश्चित रहे तो उसको काफिर घोषित किया जाएगा।

7- जिन क्षेत्रों और स्थानों में शरीअत के आदेशों से जानकारी होने की कोई सम्भावना और अवसर नहीं है, उन क्षेत्रों में मुसलमान शरीअत के आदेशों में अज्ञानता के कारण अक्षम एवं असमर्थ माना जायेगा।

8- अज्ञानता या गलती के कारण से वाशना की इच्छा से छूऐ तो हुरमत मसाहरत की मौजूद प्रमाणों के सम्बन्ध में अन्य विद्वानों के सम्प्रदाय पर पालन करने की सम्भावना है।

☆☆☆

नोटः 28वां फ़िक़्ही सेमीनार 8 से 10 रबीउल अव्वल 1440 हिजरी दिनांक 17 से 19 नवम्बर सन् 2018 ई0 जामिया इस्लामिया दारुल उलूम मुहम्मदिया मील खेडला, राजस्थान।